भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1172
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना

1172. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए वर्तमान औसत शुल्क संरचना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे तर्कसंगत और वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में अत्यधिक शुल्क, कैपीटेशन शुल्क और अनियमितताओं की जांच के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का विनियामक तंत्र लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के दौरान खाली रहने वाली स्वीकृत एमबीबीएस सीटों की वर्ष-वार संख्या क्या है और ऐसी खाली सीटों के समय पर और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न है और संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क संरचना में सब्सिडी दी जाती है। साथ ही, निजी चिकित्सा संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत तैयार किए गए थे और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 03.02.2022 को जारी किए गए थे। हालांकि, इन दिशानिर्देशों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और वर्तमान में मामला विचाराधीन है।

इसके अलावा, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने पिछले एक दशक में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इस संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला एवं रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक सीएसएस लागू कर रहा है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत, देश भर में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए एक अन्य सीएसएस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस योजना के तहत, देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 4,977 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें और 8,058 पीजी सीटें स्वीकृत की गई हैं।

(घ) पिछले चार शैक्षणिक सत्रों के दौरान देशभर में रिक्त रह गईं स्वीकृत एमबीबीएस सीटों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 06.02.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1172 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश भर में पिछले चार शैक्षणिक सत्रों के दौरान रिक्त रह गई स्वीकृत एमबीबीएस सीटों का विवरण

शैक्षणिक वर्ष	**स्वीकृत सीटों की कुल संख्या**	**दाखिल छात्रों की कुल संख्या**	**रिक्त सीटें**
2021-2022	89821	89680	141
2022-2023	97219	95192	2027
2023-2024	106646	106156	490
2024-2025	115681	115301	380
